प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील संख्या 270/2002

अपीलार्थी मदन राम

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय के लिए दिनांक: 06.04.2011 को सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील संख्या 270/2002

अपीलार्थी मदन राम

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

श्री सतीश वर्मा अपीलार्थी के वास्ते अधिवक्ता

श्री अखिल मिश्रा प्रत्यर्थी/ राज्य के वास्ते उप-शासकीय अधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(06/04/2011)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) यह अपील विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 09/1997 में दिनांक 28.02.2002 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(घ) एवं 13(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया तथा प्रत्येक आरोप के लिए उसे एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया।

(2) मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि अपीलार्थी प्रासंगिक समय पर रायपुर में निरीक्षक (वजन एवं माप) के पद पर पदस्थ था। शिकायतकर्ता संजीव अग्रवाल (अ.सा. -1) के पास वजन एवं माप विभाग में मशीनों की मरम्मत के लिए "सी" श्रेणी के उपकरणों के मरम्मत कार्य की अनुज्ञप्ति थी। दिनांक 16.10.1996 को शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक

(लोकायुक्त), रायपुर के समक्ष एक लिखित शिकायत (प्र. पी-2) प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी, जो निरीक्षक (वजन एवं माप) के पद पर कार्यरत था, पिछले दो वर्षों से उसे अवैध रूप से परेशान कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उसे आर्थिक क्षति तथा मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा। हालाँकि शिकायतकर्ता ने कई बार आरोपी/अपीलार्थी से संपर्क किया, लेकिन उसने उसे कार्य आवंटित नहीं किया तथा उक्त उद्देश्य के लिए 400/- रुपये की रिश्वत की मांग करता रहा। यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता उक्त रिश्वत राशि अभियुक्त/अपीलार्थी को नहीं देना चाहता था और समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच होने वाली बातचीत रिकॉर्ड करने हेतु एक टेप-रिकॉर्डर प्रदान किया गया। शिकायतकर्ता उक्त टेप-रिकॉर्डर अपने साथ लेकर उसी दिन दिनांक 16.10.1996 को लगभग दोपहर 12:30 बजे पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी के पास गया। अभियुक्त और शिकायतकर्ता के मध्य हुई बातचीत रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात शिकायतकर्ता लोकायुक्त कार्यालय गया, जहाँ उससे लिखित शिकायत प्र. पी-1 प्राप्त की गई। उक्त लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद टेप-रिकॉर्डर का पंचनामा प्र. पी-3 तैयार किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत का लिप्यंतरण प्र. पी-4 के रूप में किया गया तथा तत्पश्चात स्वतंत्र अधिकारियों, अर्थात् बी.बी. दीक्षित एवं महावीर प्रसाद अग्रवाल, वाणिज्य कर अधिकारी, को बुलाया गया। उन्हें शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत दिखाई गई और पूर्व-ट्रैप पंचनामा प्र. पी-5 तैयार किया गया। टेप-रिकॉर्डर को प्र. पी-6 के तहत जब्त किया गया। ट्रैप दल के गठन के पश्चात ट्रैप बिछाने की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की गईं। 100/- के मूल्यवर्ग के चार मुद्रा नोटों पर फिनॉल्फ्थलीन चूर्ण लगाकर परीक्षण का प्रदर्शन किया गया और तत्पश्चात ट्रैप दल सायंकाल अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय पहुँचा। शिकायतकर्ता संजीव अग्रवाल अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय में गया, उसे राशि सौंप दी और उसके द्वारा संकेत दिए जाने पर ट्रैप दल भी कार्यालय में प्रवेश किया तथा अभियुक्त/अपीलार्थी की मेज से राशि जब्त की गई। जब्ती पंचनामा प्र. पी-7 तैयार किया गया तथा मुद्रा नोटों को ट्रैप दल द्वारा प्र. पी-14 के अंतर्गत जब्त किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी के दोनों हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया, जो सकारात्मक पाया गया। आगे की विवेचना सतीश कुमार दुबे (अ.सा. -10)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा की गई। साक्षियों के परीक्षण तथा अभियुक्त/अपीलार्थी के अभियोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 10.04.1997 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

(3) अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 10 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया, और मामले में अपनी बेगुनाही और गलत फंसाने का भी अभिवाक किया। इसके अलावा, बचाव पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में अजय कुमार पाठक (ब.सा. -1) का भी परीक्षण कराया गया।

हालाँकि, आरोपी/अपीलार्थी ने बचाव में कहा है कि 400 रुपये की कथित राशि उसके द्वारा कभी नहीं मांगी गई थी, बल्कि शिकायतकर्ता ने जबरदस्ती उसकी पैंट की जेब में डाल दी थी। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेज पर रख दिए, और शिकायतकर्ता से कहा कि वह रसीद लेने के लिए अगले दिन उसके पास आए, क्योंकि कार्यालय का समय समाप्त हो गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, अधीनस्थ अदालत ने उपरोक्तानुसार आरोपी/अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

(5) अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी द्वारा कभी भी किसी प्रकार की रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई थी और शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए स्वयं ही राशि उसकी जेब में डाल दी थी कि कुछ शासकीय कार्य किया जाना है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने तत्काल ही उक्त राशि निकालकर मेज पर फेंक दी थी। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा रिश्वत राशि की मांग एवं स्वीकृति के तथ्य को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनका कहना है कि घटना की तिथि को अभियुक्त/अपीलार्थी के समक्ष कोई भी कार्य लंबित नहीं था, अतः रिश्वत मांगने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त, कार्यादेश जारी करने या किसी प्रकार का कार्य आवंटित करने की क्षमता भी अभियुक्त/अपीलार्थी के पास नहीं थी, इसलिए भी रिश्वत की मांग का प्रश्न

नहीं उठता। यह भी तर्क दिया गया कि जिस रासायनिक घोल से ट्रैप दल द्वार अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथ धुलवाए गए थे, उसे अभियोजन द्वारा सुरक्षित नहीं रखा गया, जैसा कि प्र. पी-5 से स्पष्ट है, तथा पूर्व-ट्रैप पंचनामा एवं उससे संबंधित कार्यवाही के संबंध में अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया। अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्र. पी-4 के माध्यम से अभियुक्त/अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच कथित बातचीत का लिप्यंतरण किया गया है, किंतु अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि यह लिप्यंतरण कब और किस प्रकार तैयार किया गया। उन्होंने आगे कहा कि कैसेट तथा टेप-रिकॉर्डर को प्र. पी-6 के तहत जब्त किया गया, परन्तु उक्त दस्तावेज में समय का उल्लेख नहीं है, जो अभियोजन के मामले के लिए घातक है। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता विभाग के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें करने का अभ्यस्त था और उन्हें धमकी देकर उनसे कार्य निकलवाता था। वर्तमान मामले में भी, जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया, तब उसे झूठे प्रकरण में फँसा दिया गया। उन्होंने बचाव साक्षी अजय पाठक (ब.सा.-1) के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस साक्षी द्वारा अनेक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं और उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब अभियोजन द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा रिश्वत राशि की मांग एवं स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे सिद्ध कर दिया गया है। उनका कहना है कि पूर्व-ट्रैप पंचनामा के समय फिनॉल्फ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करने वाले पुलिस आरक्षक का परीक्षण न किया जाना किसी प्रकार का महत्व नहीं रखता, क्योंकि ट्रैप के साक्षियों ने अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। उनके अनुसार, अपीलार्थी यह दर्शाने में असफल रहा है कि उक्त पुलिस आरक्षक के परीक्षण न किए जाने से अभियुक्त/अपीलार्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया तो अभियुक्त/अपीलार्थी को अपने बचाव में उक्त साक्षी का परीक्षण कराने की स्वतंत्रता थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी, जो वजन एवं माप निरीक्षक था,

शिकायतकर्ता तथा समान स्थिति वाले व्यक्तियों को कार्य आवंटित करने हेतु पूर्णतः सक्षम था। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, इस तथ्य को बचाव साक्षी अजय पाठक (ब.सा.-1) ने अपने परीक्षण की कंडिका 14 में स्पष्ट किया है, जहाँ उसने यह स्वीकार किया है कि विभाग द्वारा शिविर उसके अनुमोदन के पश्चात आयोजित किए जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी शिकायतकर्ता को लाभ पहुँचाने की स्थिति में था, जिसके लिए उसने 25 प्रतिशत तक कमीशन की मांग की थी। महावीर प्रसाद (अ.सा.-4) के कथन में पाए गए कुछ विरोधाभासों एवं लोपों को इस न्यायालय द्वारा उपेक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य बिंदुओं पर उसने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन का संपूर्ण मामला शिकायतकर्ता संजीव अग्रवाल (अ.सा.-1), महावीर प्रसाद (अ.सा.-4) तथा विवेचना अधिकारी सतीश दुबे (अ.सा.-10) के साक्ष्यों से पूर्णतः पुष्ट होता है और इन सभी ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कथन किए हैं। उनका कहना है कि मात्र विवेचना अधिकारी के कथन के आधार पर भी अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जा सकता है। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा ली गई प्रतिरक्षा के संबंध में यह तर्क दिया गया कि यदि शिकायतकर्ता ने किसी राशि को अग्रिम निक्षेप के रूप में दिया हो और अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह कहते हुए उसे रखने से इंकार कर दिया हो कि कार्यालय समय समाप्त हो गया है तथा वह रसीद अगले दिन ले सकता है, तो यह भार अभियुक्त/अपीलार्थी पर था कि वह यह सिद्ध करे कि उक्त राशि अवैध परितोषण नहीं थी। उनके अनुसार, विभाग द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है और अभियुक्त/अपीलार्थी किसी मौखिक साक्ष्य या ऐसी किसी रसीद के माध्यम से इसे सिद्ध करने में असफल रहा है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जब अपीलार्थी ने दस्तावेज प्र. डी-1 से डी-11 प्रस्तुत किए हैं, तो वह विभाग में किसी भी शुल्क के रूप में राशि स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया को दर्शाने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्र. पी-23 सकारात्मक है, जिसे अभियोजन द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है। उनके अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए बिना भी ग्राह्य है और यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति थी, तो वह उसे साक्ष्य में बुला सकता था, किंतु विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के समय कोई आपत्ति नहीं उठाए जाने के कारण, अपीलार्थी इस चरण पर ऐसा करने से विबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अभियोजन एवं प्रतिरक्षा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने से पूर्व, शिकायतकर्ता संजीव अग्रवाल (अ.सा. -1) द्वारा दिनांक 16.10.1996 को की गई शिकायत प्र. पी-2 का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त), रायपुर को संबोधित अपने आवेदन में उसने उल्लेख किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी रायपुर में वजन एवं माप विभाग में निरीक्षक के रूप में कार्यरत था और पिछले दो वर्षों से उसे परेशान कर रहा था, जिसके कारण उसे न केवल आर्थिक क्षति हुई बल्कि मानसिक वेदना का भी सामना करना पड़ा। उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी से व्यक्तिगत रूप से कई बार संपर्क करने तथा लिखित अनुरोध किए जाने के बावजूद उसे कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया और उससे 400/- रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। उसने यह भी कहा कि चूँकि वह इस प्रकार की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उक्त राशि पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) के कार्यालय के माध्यम से देना चाहता था, इसलिए उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। उक्त शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता को प्र. पी-3 के तहत एक टेप-रिकॉर्डर प्रदान किया गया और शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त/अपीलार्थी के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा उसी दिनांक 16.10.1996 को एक अन्य रिपोर्ट प्र. पी-1 लिखित रूप में प्रस्तुत की गई, जिसमें रिश्वत की मांग के तथ्य को पुनः दोहराने के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया कि विभाग से टेप-रिकॉर्डर प्राप्त करने के पश्चात शिकायतकर्ता पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय गया, जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी ने पुनः 400/- रुपये की मांग की और शिकायतकर्ता ने उसे लगभग अपराह्न 3 बजे उक्त राशि देने का आश्वासन दिया। अभियुक्त/अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के मध्य हुई बातचीत का लिप्यंतरण प्र. पी-4 है, जिसे शिकायतकर्ता संजीव अग्रवाल (अ.सा. -1) द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है, और जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने कहीं 400/- रुपये की सीधी मांग की है तथा कहीं शिकायतकर्ता को कार्य आवंटित करने के लिए प्रतिशत के आधार पर राशि की मांग की है।

शिकायतकर्ता संजीव अग्रवाल (अ.सा. -1) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को जानता था और घटना की तिथि को अभियुक्त/अपीलार्थी वजन एवं माप विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत था तथा उक्त विभाग द्वारा वजन एवं माप के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपकरणों की मरम्मत हेतु विभिन्न शिविर आयोजित किए जाते थे। उसने यह भी कहा है कि उसके मौखिक एवं लिखित अनुरोधों के बावजूद उसे कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया और जब उसने पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी से संपर्क किया, तो उसने 400/- रुपये की रिश्वत की मांग की। उसने लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्र. पी-1 प्रस्तुत की तथा इसके पश्चात एक अन्य शिकायत प्र. पी-2 भी उसके द्वारा की गई। उसने यह भी कहा कि उसके और अभियुक्त/अपीलार्थी के बीच हुई बातचीत को टेप-रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, जिसे उसने लोकायुक्त पुलिस को सौंप दिया, तथा उसने 100/- रुपये के मूल्यवर्ग के चार मुद्रा नोट उन्हें दिए। उक्त मुद्रा नोटों पर फिनॉल्फ्थलीन चूर्ण लगाया गया और समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात लगभग अपराह्न 3:30 बजे वह अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय गया और उसे 400/- रुपये की रिश्वत दी। उसने आगे कहा कि राशि स्वीकार करने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे 100/- रुपये वापस करते हुए कहा कि वह उसे अपने ऊपर खर्च कर ले। उसने उक्त राशि लेने से इंकार करते हुए कहा कि उसे धन की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे शिविर में कार्य चाहिए। इस पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि उसे पर्याप्त कार्य आवंटित किया जाएगा। इसके पश्चात उसने पुलिस को संकेत दिया और अभियुक्त/अपीलार्थी ने उक्त राशि अपनी पैंट की जेब में रख ली। तत्पश्चात पुलिस अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय में प्रवेश कर गए और उसकी जेब से उक्त राशि निकालकर मेज पर रख दी। उक्त मुद्रा नोटों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया। फिनॉल्फ्थलीन परीक्षण किया गया, अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया और उक्त घोल का रंग गुलाबी हो गया। पैंट तथा मेजपोश की जब्ती की गई, पटवारी द्वारा स्थल-नक्शा तैयार किया गया तथा इस साक्षी ने प्र. पी-3 से पी-11 पर अपने हस्ताक्षर किए। अपने कथन की कंडिका 11 में इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे टेप-रिकॉर्डर दिए जाने से पहले पूर्व-ट्रैप पंचनामा तैयार किया गया था तथा रिकॉर्ड की गई बातचीत का लिप्यंतरण प्र. पी-9 है, जिस पर उसने विधिवत हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अडिग रहा। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि शासकीय निर्देशों के अनुसार वह शिविर में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुदनराम (अ.सा. -2) लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर में पदस्थ एक आरक्षक है, जिसने प्रारंभिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को रायपुर कार्यालय से भोपाल ले जाकर प्रस्तुत किया, जहाँ अपराध क्रमांक 90/96 पंजीबद्ध किया गया। अजय त्रिपाठी (अ.सा.-3) वह साक्षी है, जिसके पास भी शिकायतकर्ता के समान अनुज्ञप्ति था, किंतु उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया। स्वतंत्र साक्षी महावीर अग्रवाल (अ.सा.-4), जो संबंधित समय पर सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यरत था, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसे पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) के कार्यालय से बुलाया गया था। जब वह बी.बी. दीक्षित के साथ कार्यालय पहुँचा, तो उसने देखा कि वहाँ शिकायतकर्ता तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उसके अनुसार, शिकायतकर्ता की शिकायत श्री दीक्षित द्वारा उसे पढ़कर सुनाई गई और उस पर उसने हस्ताक्षर किए। उसने यह भी कहा कि एक कैसेट भी जब्त की गई, जिसे उसके समक्ष चलाकर सुनाया गया। लिप्यंतरण के पश्चात उक्त कैसेट को सील किया गया तथा उसका पंचनामा प्र. पी-4 एवं पी-6 के तहत तैयार किया गया। उसने यह भी कहा कि मुद्रा नोटों पर रासायनिक चूर्ण लगाया गया और उसके समक्ष पूर्व-ट्रैप पंचनामा प्र. पी-5 तैयार किया गया। वह लगभग दोपहर 2:30 बजे ट्रैप दल के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय गया, जहाँ शिकायतकर्ता द्वारा यह सूचना दी गई कि अभियुक्त/अपीलार्थी सायंकाल कार्यालय आएगा। अभियुक्त/अपीलार्थी के आने के पश्चात शिकायतकर्ता उसके कार्यालय में गया, जहाँ दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। इसके पश्चात अभियुक्त को राशि दी गई और ट्रैप कार्यवाही की गयी। फिनॉल्फ्थलीन परीक्षण किया गया, जो सकारात्मक पाया गया। पंचनामा प्र. पी-7 तैयार किया गया तथा प्र. पी-8 के माध्यम से टेप-रिकॉर्डर की जब्ती की गई। लिप्यंतरण प्र. पी-9 पर उसने हस्ताक्षर किए और जब्ती संबंधी अन्य औपचारिकताएँ उसकी उपस्थिति में पूर्ण की गईं। इस कथन के पश्चात उसने यह कहा कि पुलिस ने उसका कथन दर्ज नहीं किया है और इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया। पुनः प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया और यह दोहराया कि ट्रैप दल द्वारा किस प्रकार ट्रैप कार्यवाही की गयी थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया कि शिकायतकर्ता ने उसके समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत राशि दी थी। उसने यह स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता द्वारा संकेत दिए जाने के आधार पर उसने ट्रैप दल को बुलाया था और उस समय शिकायतकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी के कक्ष में उपस्थित था। उसने इस तथ्य से भी इंकार किया कि पुलिस को देखकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी जेब से राशि निकालकर मेज पर रख दी थी। इस साक्षी के अनुसार, मेजपोश तथा अभियुक्त/अपीलार्थी की पैंट की जेब के अतिरिक्त, अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथों को भी ट्रैप दल के सदस्यों द्वारा सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया था। अपने कथन की कंडिका 9 में इस साक्षी ने कहा है कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि राशि अभियुक्त/अपीलार्थी की जेब में जबरन डाली गई थी। अंतिम कंडिका में उसने कहा है कि मुद्रा नोटों को मेज से जब्त किया गया था और उस समय वहाँ पहले से उपस्थित 4–5 व्यक्ति शिकायतकर्ता से नाराज़ थे तथा कह रहे थे कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को झूठे प्रकरण में फँसा रहा है।

नारायण सिंह कंवर (अ.सा. -5), जो लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, ने अपने कथन में कहा है कि उन्हें दिनांक 16.10.1996 को शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु शिकायतकर्ता को एक टेप-रिकॉर्डर दिया गया, जिसके संबंध में पंचनामा प्र. पी-3 तैयार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अपराह्न में शिकायतकर्ता उक्त टेप-रिकॉर्डर के साथ लौटकर आया और वाणिज्य कर विभाग के पंच साक्षियों की उपस्थिति में टेप-रिकॉर्डर चलाया गया तथा अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण की गईं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रैप दल अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय पहुँचा, जहाँ यह सूचना दी गई कि अभियुक्त/अपीलार्थी कुछ समय पश्चात आएगा। सायंकाल जब अभियुक्त/अपीलार्थी अपने कार्यालय आया, तब महावीर अग्रवाल से संकेत प्राप्त होने के पश्चात ट्रैप दल के सदस्य उसके कार्यालय में प्रवेश कर गए, स्वयं का परिचय दिया और तत्पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी जेब से राशि निकालकर मेज पर रख दी। परीक्षण संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण की गईं तथा जब्तियाँ की गईं। प्रतिपरीक्षण में भी इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण में दिए गए कथनों की ही पुनरावृत्ति की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जितेंद्र दामा (अ.सा. -6), जो लोकायुक्त कार्यालय का आशुलिपिक है और जिसने लिप्यंतरण को लिखित रूप में तैयार किया था, ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। चंद्रभान चौहान (अ.सा. -7), जो अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय में लिपिक था, ने अपने कथन में कहा है कि जब वह अपने कार्यालय में उपस्थित था, तब शिकायतकर्ता वहाँ पहुँचा और अभियुक्त/अपीलार्थी से कुछ रसीदें जारी करने का अनुरोध किया तथा बलपूर्वक राशि

अभियुक्त/अपीलार्थी की पैंट की जेब में डाल दी। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से पूछा कि वह क्या कर रहा है। अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से यह भी कहा कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवश्यक राशि जमा कर दे, और तत्पश्चात उसने पूरी राशि अपनी जेब से निकालकर मेज पर रख दी। इसी दौरान ट्रैप दल वहाँ पहुँच गया। इस साक्षी के अनुसार, शिकायतकर्ता पूर्व से योजना बनाकर अभियुक्त/अपीलार्थी को फँसाना चाहता था। रासायनिक परीक्षण किया गया तथा कुछ दस्तावेज इस साक्षी की उपस्थिति में जब्त किए गए। अपने कथन की कंडिका 3 में इस साक्षी ने कहा है कि वह कार्यालय में इसलिए रुका हुआ था क्योंकि अभियुक्त/अपीलार्थी उससे कुछ पत्रों का श्रुतलेखन कराना चाहता था, और घटना की तिथि को अभियुक्त/अपीलार्थी तथा उप संचालक श्री पाठक मंदिर हसौद गए थे तथा लगभग सायं 5:30–6:00 बजे वापस लौटे थे। रण बहादुर (अ.सा.-8), जो विधि विभाग के कार्यालय में लिपिक था, अभियोजन स्वीकृति प्र. पी-18 से संबंधित साक्षी है और उसने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है। अनुप कुमार साहू (अ.सा. -9) वह पटवारी है, जिसने स्थल-नक्शा प्र. पी-10 तैयार किया। निरीक्षक सतीश कुमार दुबे (अ.सा. -10) विवेचना अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया है तथा अनुसंधान के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत रिकॉर्ड अपने कथन में अभियुक्त/अपीलार्थी ने कहा है कि अनुज्ञप्ति धारकों को शिविर में ले जाना उसका कार्य नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं ही वहाँ पहुँचना होता है। उसने कहा है कि कार्य आवंटन उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा शिविर आयोजित किए जाने की सूचना सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित की जाती है। उसने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं ही राशि उसकी पैंट की जेब में जबरन डाल दी थी और उसने उक्त राशि निकालकर यह कहते हुए मेज पर रख दी थी कि वह उसकी रसीद अगले दिन जारी कर देगा। उसने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता प्रायः नियमों का उल्लंघन करता था और जब उसे समझाया जाता था तो वह गाली-गलौज करता तथा झगड़ा करने लगता था। अपने कथन के अंतिम कंडिका में उसने कहा है कि घटना की तिथि को शिकायतकर्ता उसके कार्यालय आया और यह कहते हुए कि व्यापारियों का कार्य किया जाना है, उससे रसीदें जारी करने का अनुरोध किया, जिस पर उसने उसे अगले दिन आने को कहा क्योंकि कार्यालय समय समाप्त हो चुका था। इसके पश्चात शिकायतकर्ता उसकी मेज के पास

आया और राशि उसकी जेब में जबरन डाल दी। इसके बाद शिकायतकर्ता के इस कृत्य प आपत्ति जताते हुए उसने राशि अपनी जेब से निकालकर यह कहते हुए मेज पर रख दी कि वह अगले दिन रसीद जारी करेगा। इसी बीच शिकायतकर्ता कार्यालय से चला गया और ट्रैप दल वहाँ पहुँच गया। उसने यह भी कहा है कि मरम्मत कार्य हेतु राशि अग्रिम रूप से जमा की जाती है और उसके लिए रसीद जारी की जाती है। उसने यह स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में कार्य आवंटित करने का उसे कोई अधिकार नहीं था।

अजय कुमार पाठक (ब.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह शिकायतकर्ता को जानता था, जिसके पास उपकरणों के मरम्मत की अनुज्ञप्ति थी। उसने कहा है कि उसने वर्ष 1996 में पदभार ग्रहण किया था और जब उसने अभिलेखों का अवलोकन किया, तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1994 में भी शिकायतकर्ता ने देवांगन एवं सारथे के साथ दुर्व्यवहार किया था तथा वर्ष 1997 में उसने स्वयं उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया था, जिसकी सूचना उसके वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी और उसी के परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की अनुज्ञप्ति लगभग 8 माह के लिए निलंबित कर दी गई थी। उसने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता से संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह उसकी एक छायाप्रति अपने साथ लाया था। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, इस साक्षी ने उन दस्तावेजों को प्र. डी-1 से डी-11 के रूप में प्रदर्शित किया, जिनमें उसके और शिकायतकर्ता के बीच हुआ आंतरिक पत्राचार, शिकायतकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की प्रतिलिपियाँ, सभी विभागों को जारी वह शासकीय निर्देश जिनमें यह सूचित किया गया था कि अनुज्ञप्ति धारक अपना कार्य नहीं कर रहे थे, शिकायतकर्ता के दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायत, कर्मचारियों में से एक को दी गई शिकायतकर्ता की धमकी आदि सम्मिलित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सूक्ष्म परीक्षण यह दर्शाता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी, जो संबंधित समय पर रायपुर में निरीक्षक (वजन एवं माप) के पद पर पदस्थ था, ने "सी" श्रेणी के उपकरणों के मरम्मत कार्य के अनुज्ञप्ति धारी शिकायतकर्ता से उसे कार्य आवंटित करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त/अपीलार्थी के मध्य रिकॉर्ड की गयी बातचीत के लिप्यंतरण (प्र. पी-4) से यह स्पष्ट

होता है कि प्रारंभ में अपीलार्थी ने 400/- रुपये की मांग की और तत्पश्चात 25 प्रतिशत की दर से कमीशन की मांग की। यह न्यायालय अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क से सहमत नहीं है कि शिकायतकर्ता ने 400/- रुपये (100/- रुपये के मूल्यवर्ग के चार मुद्रा नोट) की राशि बलपूर्वक अभियुक्त/अपीलार्थी की जेब में डाल दी थी, क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जब ट्रैप दल अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय में प्रवेश कर रहा था, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उक्त राशि अपनी जेब से निकालकर मेज पर रख दी थी। अभिलेख यह भी दर्शाता है कि जब उक्त मुद्रा नोटों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, तो उनका रंग गुलाबी हो गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि शिकायतकर्ता इस प्रकार की चातुर्यता अपनाकर अपना कार्य करवाने का अभ्यस्त था, इस न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के मामलों का निर्णय करते समय मात्र संबंधित व्यक्ति के पूर्व आचरण को सुसंगत कारक नहीं माना जा सकता और निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभियोजन द्वारा संकलित तत्वों तक ही सीमित रहना चाहिए। यह न्यायालय अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता कि पूर्व-ट्रैप पंचनामा के समय फिनॉल्फ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करने वाले पुलिस आरक्षक का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया, विशेषकर तब जब उक्त पूर्व-ट्रैप पंचनामा साक्षियों की उपस्थिति में तैयार किया गया था और उन्होंने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी यह स्थापित करने में भी असफल रहा है कि उक्त पुलिस आरक्षक के परीक्षण न किए जाने अथवा उस रासायनिक घोल को सुरक्षित न रखने से, जिससे ट्रैप दल द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथ धुलवाए गए थे, उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव हो। इसी प्रकार, महावीर प्रसाद (अ.सा.-4) के कथन में विरोधाभास एवं चूकों से संबंधित तर्क भी अधिक सारगर्भित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि उसके कथन को समग्र रूप से देखा जाए तो वह अभियोजन के मामले का समर्थन करता है; अतः इस प्रकार के तुच्छ प्रकृति के विरोधाभासों को उपेक्षित किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त/अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा उसे दी गई राशि अवैध परितोषण की ओर नहीं थी, और इसके अतिरिक्त न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रद. पी-23) भी सकारात्मक है, जिसे अभियोजन द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) उपर्युक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष अभिलेख प उपलब्ध साक्षियों की साक्ष्य के अनुरूप प्रतीत होते हैं और इसलिए आक्षेपित निर्णय सुदृढ़ आधार पर आधारित होने के कारण इस अपील में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह अपील सारहीन है और खारिज किए जाने योग्य है। अतः, अपील खारिज की जाती है। आक्षेपित निर्णय को यथावत् बनाए रखा जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है। उसके जमानत-बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। उसे तत्काल कारागार भेजा जाए।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Aryan Mishra